उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
संख्या :))५)   /43–2–2009
लखनऊ : दिनांक:२५जून, 2009

कार्यालय–ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न श्रेणियों को मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर समस्त विभागों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की स्थिति के निरीक्षण हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है :–

1–	प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग	अध्यक्ष
2–	निदेशक,उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी सेक्टर डी अलीगंज, लखनऊ।	सदस्य
3–	राज्य स्तर पर गठित पैनल में से नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य

उक्त समिति द्वारा प्रत्येक विभाग की वेबसाइट त्रैमासिक चेक की जायेगी कि सूचना का अधिकार अधिनियम की सूचना किस विभाग द्वारा किस स्तर तक अपलोड की गयी है।

उक्त समिति द्वारा विभाग की वेबसाइट का अध्ययन, त्रैमास में एक बार किया जायेगा। वेबसाइट को समिति द्वारा 1–10 के स्केल पर रेट किया जायेगा। रेटिंग का मुख्य आधार सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1) के प्राविधानों के अनुसार प्रकाशित सूचना होगा। 4 अंक से कम पाने वाले विभागों में उत्तरदायित्व निर्धारण कर प्रशासनिक कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या : 1141 (1)/43-2-2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।

6- निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय।

आज्ञा से,

(के0के0सिन्हा)
प्रमुख सचिव।